

प्रारुप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना / अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector----

No---

Dated----

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that hectares of forest land proposed to be diverted in favour of (name of user agency) for..... (purpose for diversion of forest land) in..... district falls within jurisdiction of...... village (s) in..... tehsils.

It is further certified that:

the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire... hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....

the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of

the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve reognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature
(Full name and official seal of the District Collector)



FORM-II (for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Champeus cut

No---

Dated----

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0:.99 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of SSB (name of user agency) for Bop (purpose for diversion of forest land) in ... district falls within jurisdiction of village (s) in Janak pur

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire. Thectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and (a) meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ... annexure....
- the proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible (b)
- the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation (c) and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of.... villages(s) is enclosed as annexure..... to
- the discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of (d) minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it; (e)
- the rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been (f) specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Encl: As above

of the District Collector) (Full name and Official



प्रारुप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Champawat

Date :

Deputy commissioner-cum-chairman
District level Committee

जलााधकार

- median

प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम- सशस्त्र सीमा बल, की सीमा चौकी थिपयालखेड़ा की स्थापना के लिए 0.99 है॰ वन भूमि स्थानान्तरण का प्रस्ताव |

कार्यालय उप जिलाधिकारी चम्पावत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवाशी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखंड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमित से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई | माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया की **सशस्त्र सीमा बल, की सीमा चौकी परियोजना हेतु 0.99 हे**॰ वन भूमि का एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्षं रखा गया | ग्राम सभा के अंतर्गत वनाधिकार का कोई मामला लंबित नहीं है | उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है |

सम्बंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी <u>शारदा</u> द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम,2006 एवं नियम 2008 के प्रावधान को स्पस्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया की वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है | इस सम्बन्ध में ग्राम सभा द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है | अत: प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है |

बैठक में सर्वसम्मित से उपखण्ड टनकपुर परिक्षेत्र के अंतर्गत **सशस्त्र सीमा बल, की सीमा चौकी थिपयालखेड़ा परियोजना के निर्माण हेतु** 0.99 हे॰वन भूमि का प्रयोक्ता एजेंसी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमित प्राप्त कर प्रत्यावर्तन किये जाने पर सहमती व्यक्त की गयी |

उप-जिलाधिकासी अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय (वृत्त अधिकारी समिति

तहसीलै- टनकपुर

जनपद चम्पावत

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी , चम्पावत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु |

उप-जिलाधिकारी /अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति

तहसील- टनकपुर

जनपद चम्पावत



परियोजना का नाम- सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा की स्थापना हेतु 0.99 हे० वन भूमि स्थानान्तरण प्रस्ताव ।

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गद्ध अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – सलोनीगोठ तहसील टनकपुर जिला-चम्पावत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

उत्तराखंड के जनपद चम्पावत के अंतर्गत सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा के निर्माण हेतु (आरक्षित वन भूमि 0.99 हे. सिविल सोयम भूमि.....हे. वन पंचायत भूमिहे.) अर्थात कुल 0.99 हे. वन भूमि का सशस्त्र सीमा बल विभाग के पक्ष में भारत सरकार , पर्यावरण एवं वन मत्रालय के द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 1110.41.2021...को संपन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्ज़ा/कृषि कार्य है अथवा नहीं है उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्ज़ा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है | इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है |

चर्चा के उपरांत ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम थपलीयालखेड़ा के ग्राम वासियों को उक्त वन भूमि सीमा चौकी निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपित्त नहीं है | प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है |

ग्रीम एकावित खिकारा अधिकारी ग्राम पंचायत चि०ख०/जनपद-श्रम्पावत रमिला आर्या ग्राम प्रधान-सेलानीगोठ विवखा/जिला-चम्पावत ग्राम प्रधान /सरपंच मुहर सहित

दिनांक 11 04 2021 ... को ग्रामसभा की संपन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत थपलीयाल खेड़ा/सलोनीगोठ

| क्रमांक | ग्रामसभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर कारश्मा |
|---------|---|-----------------------------|
| 1- | श्लीमती कारिश्मा देवी | |
| 2. | श्लीमती लंदमा डिवेदी | (नहभी |
| 3. | भीमती अपा राभ | अवा राप |
| 4. | भ्रीमती अभता राभ | 349KV / 51.00 |
| 5. | भी युरू पाँछम | howlandy. |
| 6. | श्रीमतीयीती महर | भेश महर |
| 7. | श्री भूवन पन्ह कलीनी | मिमताच-६ |
| 8. | भूगाना ममता न्यन्द | ममताय-८ |
| 9. | भीमती जीता-यन्द (उप प्रदान) | Deablg |
| - Hara | | |
| | | |
| | An and a second | |

ग्राम प्रवित विकास अधिकारी ग्राम पंचायत विरुखः / जनपद – चम्पावत रिक्ता आर्या रमिला आर्या ग्राम प्रधान-सेलामीगोठ ग्राम प्रधान-सेलामीगोठ निर्मान सरप्रच

मुहर सहित